कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ0ग0)

–:: मान्यता नवीनीकरण आदेश ::–

रामानुजगंज,दिनांक 23 / 09 / 2022

क्रमांक/3855/मान्यता/अनुमति/2022–23 :: :: बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप नियम के तहत आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय का नाम पता **(सेन्ट जेवियर्स प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला राजपुर)** **(कक्षा पहली से आठवी तक)** के लिए **(माध्यम अंग्रेजी) एक वर्ष के लिए 01.07.2022 से 30.06.2023** तक प्रभावशील रहेगी। उपरोक्त स्वीकृति निम्नालिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन अस्थाई रूप से मान्यता नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार के कक्षा VIII के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर I) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर II) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1 ली की दर्ज संख्या में 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्मित बच्चें के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चों का या उसके माता–पिता का या पालकों का स्कीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य अधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   1. प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से नहीं निकाला जायेगा।
   2. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
   3. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
   4. प्रारंम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावेगा।
   5. कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवकश्यकता वाले छात्रों का समावेश होगा।
   6. शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करें।
   7. शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा।
   8. शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों को संलग्न नहीं करें। विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्चर्या के आधार पर पाठ्यकम लागू करेगें।

9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विधिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानको को बनाए रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधा निम्नानुसार है :– विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, कुल निर्माण का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, अध्यापन कक्षाओं की संख्या, प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष, बालको और बालिकोओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन हवा रहित पहुंच, शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. निर्धारित मानक की पूर्ति एक निश्चित समय/अवधि में पूर्ण की जावे।

12. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बैगर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।

13. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यो (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।

14. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट 1860(1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

15. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।

16. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउटेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय में प्रत्येक वर्ष जमा करना होगा।

17. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नम्बर **(142)** है। इस कार्यालय के साथ ही किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए। विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तो की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।

19. अन्य शर्त एनेक्सर ııı के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ0ग0)

पृ. क्रमांक/3856/मान्यता/अनुमति/2022–23
रामानुजगंज,दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि :–

1. **विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी**, राजपुर की ओर सूचनार्थ।
2. **सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी** राजपुर की ओर सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष, **सेन्ट जेवियर्स प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला राजपुर** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ0ग0)